

कार्यालय : वन मण्डल अधिकारी (क्षेत्रीय), करनाल

ऑफिस कॉम्प्लेक्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, करनाल, दूरभाष / फैक्स नं० : 0184-2241417, E-mail : dfokarnal@yahoo.co.in

क्रमांक : **FCR/886**

दिनांक : **30.6.23**

सेवा में - General Manager(Tech.)
& Project Director,
NHAI, PIU-Ambala,#
16, Prem Nagar,
Ambala City-134003, Haryana.

विषय :- Diversion of 3.7381 hec.(Karnal Division 0.477 ha.) of forest land used only for development of 6 lane access controlled Greenfield Highway of Shamli to Ambala Section from K.m Ch. 0+000 to Km Ch. 120+970(Total length: 120.970 Km) in the states of Uttar Pradesh, Haryana & Punjab under Bharatmala Pariyojana Phase II(Lot-9/Package-I).

File No. FP/HR/ROAD/153630/2022.

सन्दर्भ :- भारत सरकार,पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ का पत्र क्रमांक 9-HRB039/2023-CHA दिनांक 15-06-2023.

-----X-----

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में प्राप्त सन्दर्भांकित पत्र के अनुसार इस पत्र के साथ संलग्न मांग पत्र में नोडल आफिसर एवं अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी.ए.),कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकूलाद्वारा निर्धारित प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि व प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रेजेंट टैल्यू तथा अन्य दूसरी निधियों की कुल राशि 2087582/-रु० <https://parivesh.nic.in> की साईट से आनलाईन जनरेटिड चालान द्वारा चालान में अंकित कैम्पा-हरियाणा के खाते में जमा करवाकर उक्त साईट पर ऑनलाईन अपडेट भी करे व इस कार्यालय को भी सूचित करें।

इसके अतिरिक्त उक्त सन्दर्भांकित पत्र (प्रति संलग्न) की मद संख्या 2A(viii) के अनुसार एफ०आर०ए का प्रमाण पत्र तथा 2(B) अनुसार अण्डरटेकिंग भी शीघ्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करें व ऑनलाईन अपडेट करें ताकि उक्त सूचना उच्चाधिकारियों को भेजकर प्रस्ताव में मुख्य स्वीकृति प्राप्त की जा सके

संलग्न/ उपरोक्त।

पृ०क्रमांक :- **FCR/887-88**

वन मण्डल अधिकारी(क्षे०), करनाल।
दिनांक : **30.6.23**

सकी एक प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. नोडल आफिसर एवं अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी.ए.), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकूला।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य परिमण्डल, रोहतक।

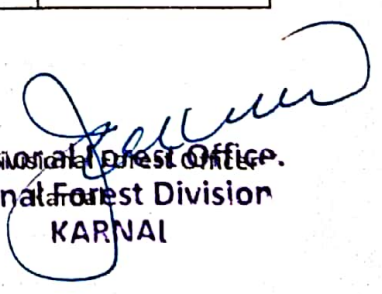
वन मण्डल अधिकारी(क्षे०), करनाल।
दिनांक : **30.6.23**

DEMAND NOTE

Proposal No. FP/HR/ROAD/153630/2022.

Diversion of 3.7381 hec.(Karnal Division 0.477 ha.) of forest land used only for development of 6 lane access controlled Greenfield Highway of Shamli to Ambala Section from K.m Ch. 0+000 to Km Ch. 120+970(Total length: 120.970 Km) in the states of Uttar Pradesh, Haryana & Punjab under Bharatmala Pariyojana Phase II(Lot-9/Package-I).

1	Compensatory Afforestation	1578584
2	Additional Compensatory Afforestation	0
3	Penal Compensatory Afforestation	0
4	Catchment Area Treatment	0
5	Safety Zone	0
6	Additional Charges for protected area	0
7	Net Present Value (Balance)	456862
	Any other charges (if any)	0
8	Felling Charges	52136
9	Penal Net Present Value	0
	Other charges2 (if any)	0
	Other charges3 (if any)	0
	Total amount to be deposit	2087582
	Remarks	


Divisional Forest Officer.
Karnal Forest Division
KARNAL

वन विभाग हरियाणा
कार्यालय:- वन मण्डल अधिकारी, यमुनानगर
दूरभाष 01732-237821

क्रमांक: 1303
सेवा में

दिनांक: 23/06/2023

The General Manager Technical,
NHAI PIU I, Ambala, Haryana.
(piulamb@gmail.com)

विषय:- Diversion of 3.7381 ha. (1.0222 Ha. Yamuna Nagar Forest Division) of forest land for Development of 6 Lane Access Controlled Greenfield Highway of Shamli-Ambala Sec. from Km Ch. 0+000 to Km Ch. 120+970 (Total length: 120.970 km) in the States of Uttar Pradesh, Haryana & Punjab under Bharatmala Pariyojna Phase-II. Online Proposal No. FP/HR/Road/153630/2022.

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय चण्डीगढ़ का पत्र क्रमांक 9-HRB039/2023-CHA दिनांक 15.06.2023 ।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सन्दर्भांकित पत्र द्वारा उक्त प्रस्ताव की भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति (स्टेज-1) जारी की गई है (प्रति संलग्न)। अतः आपको सी0ए0 स्कीम अनुसार जमा करवाई जाने वाली राशि का विवरण (डिमाण्ड नोट) निम्नलिखित प्रोफार्मा में भरकर भेजते हुए लिखा जाता है कि प्रस्ताव से सम्बन्धित राशि 3208925/- रुपये भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाईट www.parivesh.nic.in पर ऑनलाईन के माध्यम से चालान जनरेट करके जमा करवाये ताकि आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा सके।

Sr. No.	Particular	Amount
1	Compensatory Afforestation	1396256
2	Additional Compensatory Afforestation	217350
3	Penal Compensatory Afforestation	0
4	Catchment Area Treatment/Soil Moisture Conservation Charges	0
5	Safety Zone:	0
6	Additional Charges for Protected Area	111632
7	Net Present Value (NPV)	979043
8	Felling Charges	504644
9	Other Charges (Penal NPV)	0
	Total	3208925

संलग्न/उपरोक्त

उपरोक्त राशि जमा करवाने उपरान्त चालान की प्रति व सैधांतिक स्वीकृति (स्टेज-1) की क0 संख्या 2 के बिन्दू न0 (vii) पर मांगी गई अण्डरटेकिंग (इस मण्डल के पास S-1 अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है), बिन्दू न0 (viii) पर मांगा गया एफ0आर0ए0 प्रमाण, बिन्दू न0 (xi) पर मांगी गई रेलवे और सिंचाई विभाग की एन0ओ0सी0 तथा क0 संख्या 2 के बिन्दू न0 (B) अनुसार स्टेज-2 अनुमोदन से पहले मांगी गई अण्डरटेकिंग भी इस कार्यालय में भेजी जाये।


वन मण्डल अधिकारी
यमुनानगर।

वन विभाग, हरियाणा सरकार,
कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, कुरुक्षेत्र
वन परिसर, पिपली, कुरुक्षेत्र, फोन नं०-01744-230743
E-mail-dfo.kkr-hry@nic.in

क्रमांक: 1487
सेवा में

दिनांक 21-6-23

The General Manager Technical, NHAI PIU 1,
Ambala, Haryana.
(piulamb@gmail.com)

विषय: Diversion of 3.7381 Ha. (0.029 ha. Of Kurukshetra) Forest Land for Development of 6 lane Access Controlled Greenfield Highway of Shamli-Ambala Sec. From Km. Ch. 0+000 to Km. Ch. 120+970 (Total Length: 120-970) in the State of Uttar Pradesh & Haryana Punjab under Bharatmala Priyोजना under Forest Division and Distt. Kurukshetra, Haryana. (FP/HR/ROAD/153630/2022)

संदर्भ : IRO, MoEF& CC, Chandigarh के पत्र क्रमांक 9-HRB039/2023-CHA दिनांक 15.06.2023(प्रति साथ संलग्न).

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में संदर्भांकित पत्र द्वारा आपके केस में सैधान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः आपको सी0ए0 स्कीम अनुसार जमा करवाने वाली राशि का विवरण (डिमाण्ड नोट) निम्न प्रकार से भेजते हुए लिखा जाता है कि आप प्रस्ताव से सम्बन्धित राशि 210261/- रु0 भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय की website www.parivesh.nic.in पर ऑनलाईन के माध्यम से जमा करवाए ताकि तदनुसार इस कार्यालय द्वारा आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा सकें। इसके अतिरिक्त सैधान्तिक स्वीकृति वर्णित शर्तों की Compliance of Conditions Online portal पर अपलोड करने उपरांत इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। ताकि तदनुसार इस कार्यालय द्वारा आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा सकें।

Sr. No.	Particular	Amount in
1	Compensatory Afforestation	161173
2	Additional Compensatory Afforestation	0
3	Penal Compensatory Afforestation	0
4	Catchment Area Treatment:	0
5	Safety Zone:	0
6	Additional Charges for protected Area	0
7	Net Present Value (NPV):	27776
8	Felling Charges	1356
9	Other Charges	0
10	Soil Moisture Conservation (SMC) Work	19956
	Total	210261
	Remarks	

वन मण्डल अधिकारी,
कुरुक्षेत्र।
21/6 21/6 20/6/23

83

वन विभाग, हरियाणा सरकार ।

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, अम्बाला शहर ।

फौरेस्ट काम्प्लैक्स, कम्पनी बाग, विकास विहार के सामने, अम्बाला शहर, दूरभाष 0171-2550916

क्रमांक: 2544

दिनांक: 28/06/23

सेवा में,

Dy. General Manager (Tech.)
NHAI, PIU- Ambala,
HNo. 16, Prem Nagar, Ambala City.

विषय:

Diversion of 3.7381 ha. (2.2099 ha. of Ambala division) of Forest Land in favour of Project Director National Highways Authority of India Ambala for Construction of 6-lane access-controlled Highway from Shamli to Ambala along Mohri-Kesri Road km 12-13 L/ R/Side, Jagadhri Ambala Road km. 41-42o 139 L/Side, Mithapur to Sambhalka Road L&R Side, Hamidpur Bundh 0-Tail R/L side, Barara-Tandwal Road 0-Tail R/L side, Markanda -Ghelri Bundh 0-11 R/L side, S.S Road km 42 to 43 R/L Side, Adhoya to Akalgarh Road 1-2 R/L Side, Alawalpur-Foxa line Road R/L Side in state of Haryana and Uttar pardesh and Punjab under Forest Division and Distt. Ambala Haryana. Proposal No. FR/HR/ROAD/153630/2022

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको अवगत करवाया जाता है कि उक्त केस में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ के पत्र क्रमांक 9HRB-039/2023-CHA दिनांक 15.06.2023 द्वारा सैधांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसकी अनुपालना में विवरण अनुसार उक्त केस से सम्बन्धित राशि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय की website <http://parivesh.nic.in> पर ओनलाईन जमा करवाकर चालान की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। राशि का विवरण निम्न प्रकार से है:-

Sr. No.	Particulars	Amount (in Rs.)
1	Compensatory Afforestation	3551788.00
2	Additional Compensatory Afforestation	130407.00
3	Penal Compensatory Afforestation	0.00
4	Catchment Area Treatment	0.00
5	Safety Zone	0.00
6	Additional Charges for protected area	0.00
7	Net Present Value (NPV)	2116598.00
8	Any other Charges (Soil & Moisture Conservation)	0.00
a)	Felling Charges	390875.00
b)	Plantation Damage Charges	0.00
Total		6189668.00

1. एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र उपायुक्त, अम्बाला के कार्यालय से प्राप्त करके इस कार्यालय को उपलब्ध करवाया जाए।

2. इसके अतिरिक्त इस कार्यालय को निम्नलिखित Undertaking दे:-

An undertaking to this effect that "No such proposal for compliance of conditions of stage-I approval is pending with this division.

3. प्रस्ताव से सम्बन्धित राशि जमा करवाकर पूर्ण अनुपालना रिपोर्ट e-portal(<https://parivesh.nic.in>) में अपलोड की जाए।

4. रेलवे तथा सिचाई विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया जाए।

वन मण्डल अधिकारी,
अम्बाला वन मण्डल,
अम्बाला।